

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
14 अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

संख्या- 3975-सू0प्रा0अ0(15)/पाकालि/11-665 ज0 सू0/11 दिनांक 27.08.11

परिपत्र

कारपोरेशन के संज्ञान में आया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम -2005 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का उक्त अधिनियम में निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत निस्तारण नहीं किया जा रहा है, जिससे मा0 राज्य सूचना आयोग में शिकायती पत्रों में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है, जो कि कदाचित उचित नहीं है। साथ ही इससे विभाग की छवि पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है।

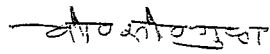
अतः सूचना प्राप्ति हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का निस्तारण सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 में इंगित चरणबद्ध प्रक्रिया एवं समय-सीमा के अनुसार किया जाना एवं मा0 राज्य सूचना आयोग में योजित होने वाले वादों की सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा प्रभावी पैरवी करायी जानी सुनिश्चित की जाए।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या- 3975 -सू0प्रा0अ0(15)/पाकालि/11 तददिनांक 27.08.11

प्रतिलिपि कृपया सूचनार्थ प्रेषित :-

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के सलाहकार।
2. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. समस्त निदेशकगण, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।



27/08/11
(पी0 सी0 गुप्ता)

अपर सचिव (का0 प्र0-तृतीय) एवं
जन सूचना अधिकारी (मुख्यालय)

सं०- 3975 -सू०प्रा०अ०(15)/पाकालि/11 तददिनांक 27.08.11

प्रतिलिपि कृपया प्रभावी कार्यवाही एवं अनुपालन हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा ।
2. प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर ।
3. निदेशक (प्रशासन), उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
4. समस्त मुख्य अभियंता, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ ।
5. समस्त मुख्य अभियंता (वितरण), डिस्काम ।
6. कारपोरेशन मुख्यालय/लेखा शाखा के सभी अधिकारीगण/विधि अधिकारी ।
7. अधिशासी अभियंता, वेब साइट ।

पी० सी० गुप्ता
27/08/11
(पी० सी० गुप्ता)

अपर सचिव (का० प्र०-तृतीय) एवं
जन सूचना अधिकारी (मुख्यालय)